

# हरियाणा के रोहतक नगर की मलिन बस्तियों में बाल श्रम और शिक्षा में अंतर्संबंधों का एक अध्ययन

गायत्री<sup>1</sup>, डॉ. प्रदीप कुमार शर्मा<sup>2</sup>

<sup>1</sup>शोधार्थी, भूगोल, सामाजिक विज्ञान विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर— 124021, रोहतक (हरियाणा)

<sup>2</sup>एसोसिएट प्रोफेसर, भूगोल, सामाजिक विज्ञान विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर— 124021, रोहतक (हरियाणा)

## सारांश :-

कई विकासशील देशों में बाल श्रम एक सतत समस्या बनी हुई है, खासकर नगरीय मलिन बस्तियों में जहाँ आर्थिक कठिनाइयाँ और शिक्षा तक सीमित पहुँच गरीबी के चक्र को बनाए रखती हैं। इस शोध पत्र में भारत के हरियाणा में तेजी से नगरीकृत हो रहे रोहतक नगर की मलिन बस्तियों में बाल श्रम और शिक्षा के बीच संबंधों की जाँच की गई है। गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण के संयोजन के माध्यम से इस अध्ययन में उन सामाजिक-आर्थिक कारकों की खोज की गई है जो बाल श्रम में योगदान करते हैं और इन समुदायों में शैक्षिक परिणामों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सरकारी और गैर-सरकारी हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता की जाँच करते हैं। शैक्षिक अभाव और बाल श्रम को संबोधित करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों को प्रकट करते हैं, शिक्षा में सुधार और हाशिए के नगरीय क्षेत्रों में बाल श्रम के चक्र को तोड़ने के लिए संभावित रणनीतियों में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

मुख्य शब्द:- नगर, बाल श्रम, शिक्षा, समुदाय, मलिन बस्तियाँ, हस्तक्षेप।

## परिचय :-

भारत जैसे विकासशील देशों में नगरीय मलिन बस्तियों में अक्सर अत्यधिक गरीबी, अनौपचारिक रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी होती है। इन परिवेशों में बाल श्रम एक व्यापक मुद्दा है जहाँ कई बच्चों को अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए कम उम्र में ही काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। हरियाणा के रोहतक नगर में, तेजी से नगरीकरण के कारण मलिन बस्तियों का विस्तार हुआ है जहाँ कई परिवार जीवित रहने के लिए अनौपचारिक श्रम बाजारों पर निर्भर हैं। इस शोधपत्र में रोहतक नगर की मलिन बस्तियों में बाल श्रम और शिक्षा से वंचितता में योगदान देने वाली सामाजिक-आर्थिक स्थितियों की पड़ताल की गई है जिसमें विशेष रूप से उन कारकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो बच्चों की शिक्षा में बाधा डालते हैं।

बाल श्रम को कम करने और शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकारी पहलों के बावजूद, गरीबी और पलायन इन प्रयासों को कमजोर कर रहे हैं। इस शोधपत्र में इस बात का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करने का प्रयास किया गया है कि ये सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ मलिन बस्तियों में बच्चों को कैसे प्रभावित करती हैं जिसमें विद्यालय में उनके नामांकन, उपस्थिति स्वरूप और शिक्षा के कथित महत्व पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस अध्ययन में इन मुद्दों को संबोधित करने में शैक्षणिक संस्थानों और नीतिगत हस्तक्षेपों की भूमिका की भी जाँच की गई है।

### विकासशील देशों में बाल श्रम

विकासशील देशों में बाल श्रम एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, विशेष रूप से नगरीय मलिन बस्तियों में जहाँ परिवार अक्सर घरेलू आय में योगदान देने के लिए अपने बच्चों पर निर्भर रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अनुसार, दुनिया भर में लगभग 152 मिलियन बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं जिनमें से एक बड़ा हिस्सा नगरीय क्षेत्रों में मलिन बस्तियों या अनौपचारिक बस्तियों में रहता है।

### मलिन बस्तियों में शिक्षा

नगरीय मलिन बस्तियों में शिक्षा कई कारकों से सीमित है जिसमें आर्थिक दबाव, बुनियादी ढाँचे की कमी और खराब गुणवत्ता वाली शिक्षा शामिल है। अध्ययनों से पता चलता है कि मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों के गरीबी, घरेलू जिम्मेदारियों या औपचारिक शिक्षा में रुचि की कमी के कारण विद्यालय छोड़ने की संभावना अधिक होती है। नगरीय मलिन बस्तियों में जहाँ अनौपचारिक रोजगार आम है वहाँ शिक्षा में सुधार के उद्देश्य से की गई सरकारी पहल अक्सर सबसे हाशिए पर पड़े समुदायों तक पहुँचने में विफल रहती हैं।


### सरकारी और गैर-सरकारी संगठन हस्तक्षेप

बाल श्रम से निपटने और शैक्षिक परिणामों में सुधार के लिए विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) कार्यक्रम लागू किए गए हैं। भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम जैसी पहल शुरू की है जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा को अनिवार्य बनाता है और जो नामांकन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएँ बनाता है। शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मलिन बस्तियों के बच्चों के लिए वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम प्रदान करने में गैर-सरकारी संगठन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

### अध्ययन क्षेत्र :-

रोहतक हरियाणा राज्य का एक प्रमुख नगर है। रोहतक नगर की स्थिति 28° 49' 53" और 28° 56' 33" उत्तरी अक्षांश तथा 76° 31' 47" और 76° 42' 43" पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। रोहतक नगर चारों तरफ से हरियाणा के 5 जिलों से घिरा हुआ है, उत्तर में जींद, पश्चिम में भिवानी, पूर्व में सोनीपत, दक्षिण में झज्जर, उत्तर-पश्चिम में हिसार और दक्षिण पश्चिम में बहादुरगढ़ है। यमुना और सतलुज नदियों के मध्यवर्ती भाग पर दिल्ली के उत्तर-पश्चिम में यह जिला स्थित है। इसके उत्तरी भाग में पश्चिमी यमुना नहर की रोहतक और बुटाना शाखाओं द्वारा सिंचाई की जाती है। यह नगर समुद्र तल से 220 मीटर की ऊंचाई पर है। रोहतक नगर का कुल क्षेत्रफल 72.18 वर्ग किलोमीटर है तथा जनसंख्या घनत्व 5106/वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार रोहतक की कुल जनसंख्या 3,74,292 है जिसमें 1,98,237 पुरुष, व 1,76,055 महिलाएं हैं। रोहतक तीन राष्ट्रीय राजमार्ग NH-9, NH-709, NH-352 तथा दो राज्य राजमार्ग SH-16, SH-18 और सात नगरों से भी जुड़ा हुआ है। नई दिल्ली और हिसार के बीच यात्रा करने वाले वाहनों को रोहतक नगर में प्रवेश करने से रोकने के लिए नई दिल्ली से रोहतक जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-9 को 30 किलोमीटर रोहतक नगर बायपास के साथ छह लेन में बदल दिया गया है।

मानचित्र1: रोहतक नगर की अवस्थिति



स्रोत: शोधार्थी द्वारा आर्क-जीआईएस की सहायता से निर्मित

कार्यप्रणाली :-

**आंकड़े संग्रह**

मलिन बस्तियों के निवासियों से जानकारी एकत्र करने के लिए एक संरचित प्रश्नावली का उपयोग किया गया है। प्रश्नावली में विद्यालय में नामांकन, उपस्थिति स्वरूप, बाल श्रम के कारण और शिक्षा के कथित महत्व जैसे विषयों को शामिल किया गया है। शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल श्रम को कम करने के उद्देश्य से सरकारी और गैर-सरकारी कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पर भी आंकड़े एकत्र किए गए हैं।

### आंकड़े विश्लेषण

एकत्रित किए गए आंकड़ों का गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरीकों का उपयोग करके विश्लेषण किया गया है। प्रतिक्रियाओं को वर्गीकृत किया गया और तालिकाओं में प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रतिशत की गणना मलिन बस्तियों के क्षेत्रों में बाल श्रम और शिक्षा के रुझानों का स्पष्ट अवलोकन प्रदान करने के लिए की गई। विश्लेषण में बाल श्रम और शिक्षा से वंचितता में योगदान देने वाले प्रमुख सामाजिक-आर्थिक कारकों की पहचान पर ध्यान केंद्रित किया गया।


### परिणाम और चर्चा :-

तालिका 4.1: बाल श्रम और लिंग वितरण

क्र.स.	बच्चे का लिंग	प्रतिक्रियाओं की संख्या	प्रतिशत
1.	लड़के	86	54.43
2.	लड़कियाँ	72	45.57

स्रोत: शोधार्थी द्वारा प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान एकत्रित किए गए आंकड़े

आरेख 4.1: बाल श्रम और लिंग वितरण



स्रोत: तालिका संख्या 4.1 के अनुसार


तालिका 4.1 के आधार पर कुल 158 बच्चों का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें श्रम में लगे 54.43 प्रतिशत लड़कों और 45.57 प्रतिशत लड़कियों का लगभग बराबर वितरण है। इससे पता चलता है कि इन मलिन बस्तियों वाले इलाकों में बाल श्रम दोनों लिंगों को काफी हद तक प्रभावित करता है, हालाँकि लड़कों की संख्या लड़कियों से थोड़ी ज्यादा है।

तालिका 4.2: काम में भागीदारी

क्र.स.	आपका बच्चा काम पर जाता है	प्रतिशत	प्रतिक्रियाओं की संख्या
1.	हाँ	70.89	112
2.	नहीं	29.11	46

स्रोत: शोधार्थी द्वारा प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान एकत्रित किए गए आंकड़े

आरेख 4.2: काम में भागीदारी



स्रोत: तालिका संख्या 4.2 के अनुसार


तालिका 4.2 के आधार पर 158 उत्तरदाताओं में से, 70.89 प्रतिशत बच्चे किसी न किसी तरह के काम में लगे हुए हैं जो दर्शाता है कि इन मलिन बस्तियों वाले समुदायों में बाल श्रम व्यापक है। बाल श्रम के लिए मुख्य कारण आर्थिक आवश्यकता थी जिसमें परिवार घरेलू आय में योगदान के लिए बच्चों पर निर्भर हैं।

तालिका 4.3: बाल श्रम के प्रकार

क्र.स.	श्रम के प्रकार	प्रतिशत	प्रतिक्रियाओं की संख्या
1.	स्ट्रीट वेंडिंग	5.35	6
2.	घरेलू सहायक	17.86	20
3.	कचरा बीनना	60.71	68
4.	अन्य	16.08	18

स्रोत: शोधार्थी द्वारा प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान एकत्रित किए गए आंकड़े

आरेख 4.3: बाल श्रम के प्रकार



स्रोत: तालिका संख्या 4.3 के अनुसार


तालिका 4.3 के आधार पर बाल श्रम का सबसे आम रूप कचरा बीनना है जिसमें काम करने वाले बच्चों का 60.71 प्रतिशत हिस्सा है। अन्य प्रकार के श्रम में घरेलू सहायक 17.86 प्रतिशत और 5.35 प्रतिशत स्ट्रीट वेंडिंग में शामिल है।

तालिका 4.4: विद्यालय में नामांकन

क्र.स.	आपके बच्चे विद्यालय में नामांकित हैं	प्रतिशत	प्रतिक्रियाओं की संख्या
1.	हाँ	23.41	37
2.	नहीं	76.59	121
3.	कुल		158

स्रोत: शोधार्थी द्वारा प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान एकत्रित किए गए आंकड़े

आरेख 4.4: विद्यालय में नामांकन



स्रोत: तालिका संख्या 4.4 के अनुसार


तालिका 4.4 में केवल 23.41 प्रतिशत बच्चे विद्यालय में नामांकित थे जिनमें से अधिकांश 76.59 प्रतिशत को कोई औपचारिक शिक्षा नहीं मिली। यह कम नामांकन दर इन क्षेत्रों में परिवारों द्वारा सामना किए जाने वाले आर्थिक दबावों का संकेत है जहाँ तत्काल आय सृजन दीर्घकालिक शैक्षिक लक्ष्यों पर प्राथमिकता लेता है।

तालिका 4.5: विद्यालय में नियमितता

क्र.स.	बच्चा नियमित रूप से विद्यालय जाता है	प्रतिशत	प्रतिक्रियाओं की संख्या
1.	हाँ	67.56	25
2.	नहीं	32.44	12

स्रोत: शोधार्थी द्वारा प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान एकत्रित किए गए आंकड़े

आरेख 4.5: विद्यालय में नियमितता



स्रोत: तालिका संख्या 4.5 के अनुसार

तालिका 4.5 में विद्यालय में नामांकित बच्चों में से केवल 67.56 प्रतिशत नियमित रूप से उपस्थित हैं, अनियमित उपस्थिति के लिए स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, विद्यालय की दूरी और शिक्षा में रुचि की कमी जैसे कारक जिम्मेदार हैं।

#### निष्कर्ष :-

यह शोध रोहतक की मलिन बस्तियों में बाल श्रम और शिक्षा के बीच जटिल संबंधों को उजागर करता है। गरीबी, अनौपचारिक रोजगार और प्रवासन बाल श्रम के बने रहने में योगदान करते हैं जबकि इन क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता और पहुँच अभी भी बहुत कम है। सरकारी प्रयासों के बावजूद, शिक्षा तक पहुँच में महत्वपूर्ण बाधाएँ बनी हुई हैं जिनमें आर्थिक दबाव और शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता की कमी शामिल है।

अध्ययन से पता चलता है कि बाल श्रम को संबोधित करने और मलिन बस्तियों में शैक्षिक परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। नीतिगत हस्तक्षेपों को शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, विद्यालय के बुनियादी ढाँचे में सुधार करने और परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, मलिन बस्तियों के निवासियों को लक्षित करने वाले जागरूकता अभियान शिक्षा के कथित मूल्य को बढ़ाने और उच्च नामांकन और प्रतिधारण दरों को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकते हैं।

#### संदर्भ सूची :-

1. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (2017). *बाल श्रम के वैश्विक अनुमान: परिणाम और रुझान, 2012-2016*. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन।
2. भारत सरकार (2009). *बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम*. भारत सरकार।
3. यूनिसेफ (2019). *भारत में बाल श्रम और शिक्षा: शिक्षा में बाधाओं को संबोधित करना*. यूनिसेफ।
4. हरियाणा सरकार (2018). *वार्ड बन्दी नगर निगम रोहतक*. हरियाणा सरकार।